महिला किसानों/दैनिक मजदूरों के प्रवसन पर आयोजित क्षेत्रीय सेमिनार में माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चन्द कटारिया का सम्बोधन

दिनांक 3 नवंबर 2023, शुक्रवार	**समय : 4.00 PM**	**स्थान : खानापाड़ा, गुवाहाटी**

- असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री रंजीत दास जी,
- राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा जी,
- असम राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. हेमप्रभा बरठाकुर जी,
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव (IAS) श्री मुनिंद्र शर्मा जी,
- उपस्थित अन्य अतिथिगण
- मीडिया के हमारे मित्रों,
- देवियों और सज्जनों,

नमस्कार,

सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान को असम की महिला किसान एवं महिला दैनिक मजदूरों विषय पर यह सेमिनार आयोजित करने के लिए प्रशंसा करता हूं। मैं इस सेमिनार की सफलता और इसके सार्थक परिणाम मिलने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

इस सेमिनार का विषय “महिला किसान एवं महिला दैनिक मजदूर : पलायन के संदर्भ में” है। आशा है कि सेमिनार में इस विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बाद आप सभी प्रतिभागियों को कई उपयोगी जानकारी मिली होंगी, जिससे ग्रामीण महिलाओं, महिला किसानों एवं दैनिक मजदूरी करने वाली महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

मित्रों,

भारत कृषि प्रधान देश है और जीडीपी यानि सकल घरेलू उत्पाद में किसानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसान शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने सहज ही पुरुष किसानों की तस्वीर सामने आती है। हमारे दिलो-दिमाग में सालों-साल से बैठाई गई रीति-नीतियों की वजह से आज भी हम यही मानते हैं कि खेती का काम तो केवल पुरुषों का ही है।

लेकिन वास्तविकता यह है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान पुरुषों के बराबर है। ग्रामीण महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ-साथ खेत-खलिहान को भी संभाल रही हैं। ग्रामीण महिलाएं सिर्फ चूल्हे-चौके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने परिवार के पालन-पोषण के लिये वे खेतों में भी काम कर रही हैं।

देवियों और सज्जनों,

महिलाएं किसी भी विकसित समाज की रीढ़ हैं। हमारे देश में सत्तर फीसद आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। पचासी फीसद से अधिक ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि में महिलाओं का योगदान 65 से 70 फीसदी है। बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण पुरुषों के शहरों में बढ़ते प्रवास के कारण कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण हो गई है।

एक तरह से देखें तो इस पेशे में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कहीं अधिक सक्रिय हैं। इसके बावजूद महिला किसानों की मजदूरी पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम आंकी जाती है। जागरूकता की कमी के कारण अधिकतर महिलाएं खेतों में बिना किसी मेहनताने के ही काम करती हैं। महिला और पुरुषों को समान अधिकार की बात करने वाले समाज में यह चिंता का विषय है। इस संदर्भ में ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।

यह भेदभाव केवल महिला किसानों का ही नहीं है। समाज में वैसे भी महिलाओं के श्रम की कीमत नहीं आंकी जाती। घर में बहुत कुछ कर रही महिला भी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही ही साबित होती है, जबकि यदि सही तरह से आंका जाए तो उसका मूल्य किसी भी तरह पुरुषों द्वारा किये गये कार्यों से कम नहीं है।

कृषि क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा, अनभिज्ञता, उदासीनता और अंधविश्वास उनके सशक्तीकरण की राह में मुश्किल बढ़ाते हैं। पुरुषों की तुलना में भूमि, श्रम, सिंचाई, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख संसाधनों तक ग्रामीण महिलाओं की पहुंच कम है। उन्हें बाजारों में बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए अलग-अलग कीमतें मिलती हैं। उन्हें अक्सर दैनिक मजदूरी के रूप में समान काम के लिए अपने पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है।

वहीं महिला दैनिक मजदूरों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन दैनिक वेतन भोगी मजदूर को आम तौर पर अल्पकालिक, असुरक्षित और कम वेतन वाले काम के लिए अस्थायी आधार पर काम पर रखा जाता है।

यह गर्व की बात है कि आज महिला किसान व मजदूर घरों की दहलीज को लांघकर और समाज की रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ते हुए नवाचार और तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रही है। खेती के साथ-साथ महिला किसान पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और सफलता भी हासिल कर रही हैं।

कई महिलाओं ने इन बाधाओं से जूझकर समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है, जो अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय है। महिलाएं किसान श्रमिक और उद्यमी हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में उन्हें ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

कृषि जनगणना 2021-22 के अनुसार, कृषि क्षेत्र सभी आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से 80 प्रतिशत को रोजगार देता है; इनमें 33 प्रतिशत कृषि श्रम बल और 48 प्रतिशत स्व-रोजगार किसान शामिल हैं। हालाँकि, उनकी उपस्थिति और भागीदारी के बावजूद, विडंबना यह है कि पुरुषों की तुलना में, महिलाओं के पास अक्सर उस भूमि का स्वामित्व नहीं होता, जिस पर वे खेती करती हैं। शायद समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण महिलाएं कृषि भूमि के स्वामित्व से वंचित होना पड़ता है।

भूमि पर स्वामित्व की कमी के कारण महिला किसान संस्थागत ऋण के लिए बैंकों से संपर्क करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि बैंक आमतौर पर जमीन के आधार पर ही ऋण स्वीकृत करते हैं। यह महिला किसानों के सशक्तिकरण की राह में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है।

महिलाओं को इस क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए कारगर नीति बनाने और विकासात्मक कदम उठाने की जरूरत है। महिला किसानों व मजदूरों तक ऋण, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण जैसे संसाधनों की पहुंच बढ़ानी होगी।

मुझे खुशी है कि इस दिशा में सरकार विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है, जो महिला किसानों के अधिकारों में सुधार करने में मदद करती हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डी. ए एंड एफ. डब्ल्यू) में जेंडर मुख्यधारा की पहल को उनके क्षमता संवर्धन और प्रौद्योगिकियों और अन्य कृषि संसाधनों तक उनकी पहुंच में सुधार के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।

मित्रों,

ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है और उन्हें सशक्त बनाना न केवल व्यक्तियों, परिवारों और ग्रामीण समुदायों के आर्थिक एवं समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास की गति को तेज़ करने के लिए इन बाधाओं को ख़त्म करना आवश्यक है। इसके लिए महिला किसानों तक संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने और उन्हें जागरूक करना जरूरी है।

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि महिला आयोग इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्नशील है। महिला आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, महिला किसानों एवं दैनिक मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने, पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से इस तरह के सेमिनार का आयोजन सराहनीय प्रयास है।

मुझे खुशी है कि इस प्रयास में राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान, असम भी सक्रिय सहयोग दे रहा है। मैं मानता हूं कि महिला किसानों एवं दैनिक मजदूरों के समग्र विकास में पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि, गांवों के सरपंच, महिला किसान संघ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंक, कृषि उत्पादों के उद्योगों के प्रतिनिधि और ई-मार्केटिंग कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मुझे बताया गया है कि इस सेमीनार में कृषि का विविधीकरण, कृषि व्यवसाय मे वृद्धि के लिए महिला किसानों हेतु अनुकूल वातावरण और औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती से संबंधित तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।

विषय विशेषज्ञों द्वारा खेती के विविधीकरण, आमदनी दुगनी करने के उपाय, पारंपरिक पारिस्थितिक खेती, डिजिटल साक्षरता, समावेशी ग्रामीण वित्तीय और कृषि बीमा सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच, महिला किसानों हेतु नवीनतम संयंत्र और सहयोगी तकनीक और खेती के सर्वोत्तम तौर तरीके के बारे में जानकारी साझा की गई।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन महत्वपूर्ण जानकारियों से महिलाओं को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और खेती में लैंगिक भेदभाव खत्म होगा तथा महिला किसानों व महिला मजदूरों का आर्थिक व सामाजिक विकास सुनिश्चित होगा। उन्हें सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकेगा।

एक बार फिर मैं राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान, असम को इस सेमिनार का आयोजन करने के लिए धन्यवाद देता हूं और सेमिनार की सफलता के लिए कामना देता हूं।

जय हिन्द।